राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा/2025/1706 दिनांक : 20.11.2025

प्रेस विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020) शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू की गई है। यह नीति प्रथम बार लागू होने के कारण विद्यार्थियों में जागरूकता का अभाव होने से आ रही समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए माननीया कुलगुरू महोदया द्वारा एन.ई.पी. कोर्डिनेशन कमेटी को विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में आंकडे/डाटा एकत्रित कर, आंकडों का विश्लेषण कर दो दिवस में सुझाव प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है एवं उक्त की निरन्तरता में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु विद्यार्थी अपनी लिखित परिवेदना निर्धारित तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। संबंधित विद्यार्थी अपने अभिभावक के साथ कार्यक्रम की निर्धारित तिथि को समस्याओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषज्ञ, महाविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्या, महाविद्यालय काउंसलर एवं शिक्षकगण से संवाद कर सकेंगे। संवाद कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	दिनांक एवं समय	कार्यक्रम स्थल
1.	कनोड़िया महिला महाविद्यालय, जयपुर	सोमवार (24.11.25) प्रातः 11.00 बजे	महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान
2.	विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय, जयपुर	सोमवार (24.11.25) अपराह्न 3.00 बजे	
3.	एस.एस. जैन सुबोध महिला महाविद्यालय, रामबाग, जयपुर	मंगलवार(25.11.25) प्रातः 11.00 बजे	
4.	विश्वविद्यालय महाराजा महाविद्यालय, जयपुर	मंगलवार(25.11.25) अपराह्न 3.00 बजे	
5.	विश्वविद्यालय राजस्थान महाविद्यालय, जयपुर	बुधवार (26.11.25) प्रातः 11.00 बजे	
6.	विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर	बुधवार (26.11.25) अपराह्न 3.00 बजे	

उक्त कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषज्ञ, महाविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्या, महाविद्यालय काउंसलर एवं शिक्षकगण प्राप्त परिवेदनाओं पर चर्चा कर सुझाव एवं समाधान प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार/महाविद्यालय की मांग पर अन्य महाविद्यालयों में भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

-sd-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा/2025/1707-1713 दिनांक : 20.11.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. प्राचार्य/प्राचार्या, संबंधित महाविद्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु स्थान निर्धारित कर, अपने स्तर पर संबंधित कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार–प्रसार करें।
2. निदेशक, अकादमिक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. जन–सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. व0 निजी सहायक माननीया कुलगुरू, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

20/11/25
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)